

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय मण्डल, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष—0124—2322057

क्रमांक: २९। -६

दिनांक: ६/५/२४

प्रेषित:

NCRTC 311 A&B, 3rd Floor
JMD pacific Square, Sector-15.
Part-II, Gurugram

विषय:— Diversion of 13.0367 Ha. of forest land for Implementation of Delhi – Gurugram RRTS Corridor Delhi to SNB 106.5 km. 16 no. Station- Sarai Kale Khan, INA, Munirka, Aerocity, Udyog Vihar, Sector-17, Rajiv Chowk, Kherki Daula, Manesar, Panchgaon, Bilaspur, Dharuhera, MBIR, Rewari (Proposal No. FP/HR/RAIL/43886/2020)

सन्दर्भ:— आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 116 दिनांक 22.02.2024

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि प्रस्तावित केस में आप द्वारा पुनः एरिया रिवाईज किया गया जिसके निरन्तर में इस कार्यालय द्वारा भी Part II पुनः रिवाईज किया जाना है। प्रस्तावित केस में एरिया रिवाईज करने पूर्व प्रतिपूर्ति पौधारोपण वन मण्डल मोरनी (पिंजौर) में किया जाना था परन्तु उक्त साईट को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई तथा फरीदाबाद मण्डल में 1370 एकड़ लैड़ बैंक बारे भी हरियाणा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त भूमि पौधारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।

वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2003 व वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023 के अनुसार आपके प्रस्ताव में डाईवर्ट करवाई जाने वाली भूमि के बदले भूमि दी जानी बनती है। अतः आपको लिखा जाता है कि डाईवर्ट करवाई जाने वाली भूमि के बदले समकक्ष गैर वानिकी भूमि या वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023 के अनुसार भूमि उपलब्ध करवाये ताकि प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके।

आपके सन्दर्भाकिंत पत्र द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण भूमि हेतु, किए गए अनुरोध पत्र को इस कार्यालय द्वारा नोडल ऑफिसर (FCA) तथा अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल को अग्रसित किया जा चुका है। जिसे आप अपने स्तर पर अनुसरण करें।

पृ० क्रमांक २९।-९५-
एक प्रति निम्न को:—

- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०) हरियाणा, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित है।
- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुडगांव को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक ६/५/२४

उप वन संरक्षक,
गुडगांव। ३१/५/२०२४

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम। ३१/५/२०२४